



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

भारत में सूचना का अधिकार और सुशासन: पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण का संस्थागत विश्लेषण

भूमिका प्रसाद

राजनीति विज्ञान विभाग

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल.

<https://doi.org/10.65578/kavyasetu.v2.i2.178>

सार

सूचना का अधिकार (RTI) आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक खुला, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार के रूप में उभरा है। यह अध्ययन सूचना के अधिकार की संवैधानिक एवं वैधानिक पृष्ठभूमि, उसकी वैचारिक आवश्यकता तथा सुशासन के संदर्भ में उसकी भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन में सूचना के अधिकार की अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि, भारत में इसके विकास की ऐतिहासिक यात्रा तथा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और संस्थागत संरचना का विस्तृत परीक्षण किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार पारदर्शिता को बढ़ाता है, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है, नागरिकों को शासन की निगरानी में सक्षम बनाता है तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। साथ ही, सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली, दंडात्मक प्रावधानों और स्वप्रकाशन की व्यवस्था के माध्यम से अधिनियम की व्यावहारिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जैसे सूचना प्रदान करने में विलंब, आयोगों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, संस्थागत संसाधनों की कमी, प्रशासनिक प्रतिरोध, नागरिक जागरूकता का अभाव तथा कुछ मामलों में इसके दुरुपयोग की प्रवृत्ति। अतः, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में सुशासन की स्थापना की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है। इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सूचना आयोगों को सुदृढ़ करना, डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देना, प्रशासनिक क्षमता निर्माण करना तथा नागरिकों के बीच व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक वैधता, जनभागीदारी और पारदर्शी शासन को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: सूचना का अधिकार, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सशक्तिकरण, सूचना आयोग।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

1. प्रस्तावना

सूचना तक पहुँच लोकतांत्रिक शासन की आधारभूत शर्तों में से एक है। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की वैधता केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह शासन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका केवल मतदाता तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे शासन प्रक्रियाओं के सहभागी, निगरानीकर्ता और मूल्यांकनकर्ता भी होते हैं। इस संदर्भ में सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) नागरिकों को राज्य के कार्यकलापों, नीतियों, निर्णय-प्रक्रियाओं और संसाधनों के उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की विधिक गारंटी प्रदान करता है, जिससे शासन की प्रक्रियाएँ अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनती हैं।

वैश्वीकरण के दौर में प्रशासनिक संरचनाओं और कार्यप्रणालियों में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। नई सार्वजनिक प्रबंधन (New Public Management) की अवधारणा ने दक्षता, परिणामोन्मुखता, सेवा-प्रदाय की गुणवत्ता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन पर बल दिया। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विशेष रूप से विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), ने 1980 और 1990 के दशक में "सुशासन" (Good Governance) की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इस अवधारणा में पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि का शासन, सहभागिता और सूचना की उपलब्धता को शासन की गुणवत्ता के प्रमुख संकेतकों के रूप में स्वीकार किया गया (World Bank, 1992)। सूचना तक पहुँच को प्रशासनिक अपारदर्शिता को कम करने, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राज्य-समाज संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रभावी साधन माना गया।

भारतीय संदर्भ में सूचना का अधिकार संवैधानिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यद्यपि संविधान में सूचना के अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, तथापि इसे अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्युत्पन्न माना गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *State of Uttar Pradesh v. Raj Narain (1975)* तथा *Dinesh Trivedi v. Union of India (1997)* जैसे महत्वपूर्ण मामलों में यह स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में नागरिकों का 'जानने का अधिकार' अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका की इस व्याख्या ने शासन में पारदर्शिता के संवैधानिक आधार को सुदृढ़ किया और अंततः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में गोपनीयता की पारंपरिक संस्कृति को चुनौती देते हुए नागरिकों को सशक्त बनाया है। यह अधिनियम शासन को अधिक खुला, उत्तरदायी और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार के रूप में उभरा है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य सूचना के अधिकार और सुशासन के मध्य संबंध का विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

1. सूचना के अधिकार की संवैधानिक एवं विधिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना।
2. सुशासन के संदर्भ में सूचना के अधिकार की भूमिका का मूल्यांकन करना।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संस्थागत संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
4. अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों और सीमाओं की पहचान करना।
5. प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तीकरण के संदर्भ में इसकी संभावनाओं का आकलन करना।

3. कार्यप्रणाली (Methodology)

यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। अनुसंधान में मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का उपयोग किया गया है। अध्ययन की कार्यप्रणाली के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

3.1 अनुसंधान रूपरेखा (Research Design)

अध्ययन में वर्णनात्मक (Descriptive) तथा व्याख्यात्मक (Explanatory) शोध पद्धति अपनाई गई है। इसका उद्देश्य सूचना के अधिकार के संस्थागत ढाँचे, कानूनी आधार तथा शासन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना है।

3.2 डेटा के स्रोत (Sources of Data)

अध्ययन के लिए निम्नलिखित द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है:

- भारत का संविधान एवं न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा संबंधित नियम
- केन्द्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों की वार्षिक रिपोर्टें
- सरकारी दस्तावेज एवं नीतिगत प्रतिवेदन
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे विश्व बैंक) की रिपोर्टें
- शोध-पत्र, पुस्तकें तथा प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख

4. सूचना का अधिकार: अवधारणा और आवश्यकता

4.1 सूचना का अधिकार: वैचारिक परिप्रेक्ष्य

सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी अभिलेखों, दस्तावेजों, नीतिगत निर्णयों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार राज्य और नागरिकों के बीच सूचना संबंधी असमानता (information asymmetry) को कम करता है और शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक होता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

परंपरागत रूप से प्रशासनिक व्यवस्था गोपनीयता और नियंत्रण की संस्कृति पर आधारित रही है, जो औपनिवेशिक शासन प्रणाली की विरासत मानी जाती है। सूचना का अधिकार इस गोपनीयता-प्रधान प्रशासनिक संस्कृति को चुनौती देते हुए "जानने का अधिकार" को लोकतांत्रिक शासन का मूल तत्व स्थापित करता है। यह शासन की प्रक्रियाओं को सार्वजनिक निगरानी के दायरे में लाकर निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को संस्थागत रूप प्रदान करता है।

सूचना का अधिकार केवल एक प्रशासनिक उपकरण नहीं है, बल्कि यह नागरिक सशक्तीकरण, सहभागी लोकतंत्र और सामाजिक उत्तरदायित्व (social accountability) को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक न केवल जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने और आवश्यकतानुसार प्रश्न उठाने में भी सक्षम होते हैं।

4.2 सूचना के अधिकार की आवश्यकता

सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता को सुधारने में बहुआयामी भूमिका निभाता है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट की जा सकती है:

1. प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करना

सूचना तक सार्वजनिक पहुँच अधिकारियों को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाती है। जब प्रशासनिक कार्यवाही सार्वजनिक जांच के दायरे में आती है, तो मनमाने निर्णयों और शक्ति के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है।

2. राज्य-नागरिक विश्वास को बढ़ाना

पारदर्शिता शासन में विश्वास का आधार बनाती है। सूचना का अधिकार नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद और विश्वास को मजबूत करता है, जिससे शासन की वैधता (legitimacy) में वृद्धि होती है।

3. नीति-निर्माण में नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन

सूचित नागरिक ही प्रभावी रूप से सार्वजनिक विमर्श और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। सूचना की उपलब्धता नागरिकों को नीतियों का मूल्यांकन करने और वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है।

4. भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग पर नियंत्रण

सूचना का अधिकार प्रशासनिक अपारदर्शिता को कम करके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी लाभार्थियों और संसाधनों के दुरुपयोग जैसे मामलों का खुलासा RTI के माध्यम से संभव हुआ है।

5. लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना

RTI लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों—पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक भागीदारी—को व्यावहारिक रूप देता है। यह शासन को "closed administration" से "open governance" की दिशा में परिवर्तित करता है।

6. सामाजिक अंकेक्षण और जन-निगरानी को सक्षम बनाना



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

सूचना की उपलब्धता सामाजिक अंकेक्षण (social audit) और सामुदायिक निगरानी को प्रभावी बनाती है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन संभव होता है।

4.3 अनुभवजन्य महत्व

विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावी सिद्ध हुआ है। RTI के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) तथा स्थानीय निकायों में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का खुलासा हुआ है (Singh, 2010)।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम ने लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार लाने तथा कमजोर एवं हाशिए पर स्थित वर्गों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

4.4 समग्र विश्लेषण

समग्र रूप से, सूचना का अधिकार प्रशासनिक पारदर्शिता, नागरिक सशक्तीकरण और सुशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह राज्य और समाज के संबंधों को अधिक संतुलित और उत्तरदायी बनाते हुए लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधिक व्यवस्था से आगे बढ़ाकर सहभागी और उत्तरदायी शासन प्रणाली में रूपांतरित करता है।

5. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

सूचना तक पहुँच की स्वतंत्रता (Freedom of Information) का विचार वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकार संरक्षण और सुशासन के एक अनिवार्य तत्व के रूप में विकसित हुआ है। आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों में पारदर्शिता को शासन की वैधता और नागरिक विश्वास के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। सूचना के अधिकार की वैश्विक स्वीकृति इस तथ्य को दर्शाती है कि लोकतंत्र केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तरदायित्व, भागीदारी और सार्वजनिक निगरानी की निरंतर प्रक्रिया पर आधारित है।

सूचना की स्वतंत्रता का औपचारिक विधिक स्वरूप सर्वप्रथम Sweden में 1766 के *Freedom of the Press Act* के माध्यम से सामने आया, जिसे विश्व का पहला सूचना कानून माना जाता है। इस कानून ने सरकारी दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता को संस्थागत रूप दिया और प्रशासनिक गोपनीयता की परंपरा को चुनौती दी।

इसके पश्चात विभिन्न लोकतांत्रिक देशों ने भी सूचना कानूनों को अपनाया। United States ने 1966 में *Freedom of Information Act (FOIA)* लागू किया, जिसने नागरिकों को संघीय एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। इसी प्रकार Canada, Australia, और New Zealand ने 1980 के दशक में सूचना तक पहुँच संबंधी कानून लागू किए। बाद में United Kingdom ने वर्ष 2000 में



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

Freedom of Information Act पारित कर प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत किया (Article 19, 2006)।

आज के समय में 130 से अधिक देशों में सूचना संबंधी कानून लागू हैं, जो वैश्विक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य सरकारी निर्णयों, सार्वजनिक व्यय और नीतिगत प्रक्रियाओं को नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हो सके।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना तक पहुँच को मानवाधिकार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। United Nations द्वारा स्वीकृत *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966* के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने के अधिकार को शामिल किया गया है। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि सूचना तक पहुँच केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, UNESCO और World Bank जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी पारदर्शिता, ओपन गवर्नेंस और सूचना की उपलब्धता को विकास और सुशासन के लिए आवश्यक माना है। वैश्विक अनुभव यह दर्शाता है कि जहाँ सूचना कानून प्रभावी रूप से लागू होते हैं, वहाँ नागरिक भागीदारी, सामाजिक जवाबदेही और सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है।

इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकार संरक्षण और सुशासन के वैश्विक मानकों का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है, और भारत का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इसी व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

6. भारत में सूचना का अधिकार: विकास यात्रा

भारत में सूचना के अधिकार की अवधारणा का विकास केवल विधायी पहल का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक जनआंदोलन, न्यायिक सक्रियता और नागरिक समाज की सतत पहल का परिणाम है। पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी की बढ़ती मांग ने प्रशासनिक गोपनीयता की पारंपरिक संस्कृति को चुनौती दी और सूचना तक नागरिकों की पहुँच को लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।

सूचना के अधिकार आंदोलन की वास्तविक शुरुआत ग्रामीण स्तर पर सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की मांग से हुई। Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) ने राजस्थान में मजदूरी भुगतान, विकास कार्यो और सार्वजनिक व्यय से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। संगठन द्वारा आयोजित जन सुनवाई (Public Hearings) और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया ने यह उजागर किया कि सरकारी अभिलेखों तक पहुँच भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है (Roy, 2004)। इस आंदोलन ने सूचना के अधिकार को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में स्थापित किया।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

न्यायपालिका ने भी सूचना के अधिकार को संवैधानिक आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक निहित मौलिक अधिकार है, जिससे शासन की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को मजबूती मिलती है।

विधायी स्तर पर, केंद्र सरकार ने 1997 में एच.डी. शौरी समिति का गठन किया, जिसने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और सूचना की स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाने की सिफारिश की। इन सिफारिशों के आधार पर संसद ने *Freedom of Information Act, 2002* पारित किया। हालांकि, इस अधिनियम में स्पष्ट प्रक्रियाओं, दंडात्मक प्रावधानों और स्वतंत्र अपीलीय संस्थाओं के अभाव के कारण इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका।

इसके पश्चात नागरिक समाज के निरंतर दबाव, मीडिया समर्थन और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संसद ने एक अधिक व्यापक और सशक्त कानून पारित किया। परिणामस्वरूप, **Parliament of India** ने *सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005* पारित किया, जो 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ। इस अधिनियम ने सूचना प्राप्त करने की स्पष्ट प्रक्रिया, समयसीमा, अपील व्यवस्था तथा लोक सूचना अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता
- प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी (PIO) की नियुक्ति
- निर्धारित समय सीमा (30 दिन) में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान
- केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों की स्थापना
- सूचना देने में देरी या अनुचित अस्वीकृति पर दंडात्मक प्रावधान
- स्वप्रकाशन (Proactive Disclosure) के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा

भारत में सूचना के अधिकार की विकास यात्रा यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक सुधार केवल शीर्ष-से-नीचे (top-down) प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि जनआंदोलन, न्यायिक हस्तक्षेप और संस्थागत सुधारों के समन्वित प्रयासों से ही प्रभावी बनते हैं। यह अधिनियम आज नागरिक सशक्तिकरण, सामाजिक अंकेक्षण, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: प्रमुख प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण को संस्थागत रूप प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण विधिक उपकरण है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को खुला बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा नागरिकों को शासन की निर्णय-प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनाना है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

7.1 सूचना की परिभाषा



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

अधिनियम की धारा 2(f) के अनुसार "सूचना" का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें किसी भी रूप में उपलब्ध सामग्री शामिल है, जैसे—

- अभिलेख (Records)
- दस्तावेज एवं फाइलें
- ज्ञापन, परिपत्र, आदेश एवं नोटशीट
- ई-मेल, प्रेस विज्ञप्ति एवं परामर्श पत्र
- रिपोर्ट, अध्ययन एवं सांख्यिकीय आँकड़े
- अनुबंध, निविदाएँ एवं समझौते
- नमूने, मॉडल एवं निरीक्षण योग्य सामग्री
- इलेक्ट्रॉनिक डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड एवं वीडियो/ऑडियो सामग्री

यह व्यापक परिभाषा प्रशासनिक गोपनीयता की पारंपरिक प्रवृत्ति को सीमित करती है और नागरिकों को शासन की कार्यप्रणाली के विभिन्न आयामों तक पहुँच प्रदान करती है। साथ ही, नागरिकों को न केवल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बल्कि अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है।

7.2 सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority)

अधिनियम की धारा 2(h) के अंतर्गत "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा दी गई है, जिसका दायरा व्यापक और समावेशी है। इसमें निम्नलिखित संस्थाएँ शामिल हैं—

- संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएँ
- संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित निकाय
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना या आदेश के माध्यम से गठित संस्थाएँ
- सरकारी स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त निकाय
- वे गैर-सरकारी संगठन (NGOs) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन या सरकारी अधिकारों का उपयोग करने वाली सभी संस्थाएँ नागरिकों के प्रति जवाबदेह रहें।

7.3 सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया

अधिनियम ने सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और नागरिक-अनुकूल बनाया है। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं—

- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में एक या अधिक लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) की नियुक्ति
- नागरिक द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ साधारण आवेदन के माध्यम से सूचना का अनुरोध
- आवेदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

- सामान्य मामलों में 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करने की बाध्यता
- यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) के माध्यम से दिया गया है, तो अतिरिक्त 5 दिन की समय सीमा
- जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करना
- निर्धारित समय सीमा में सूचना न देने पर इसे "अस्वीकृति" माना जाएगा, जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है

इसके अतिरिक्त, अधिनियम में प्रथम एवं द्वितीय अपील की व्यवस्था तथा सूचना उपलब्ध कराने में अनुचित विलंब या अस्वीकृति की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

समग्र रूप से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के ये प्रावधान प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने, नागरिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने तथा सुशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

8. संस्थागत संरचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक सुदृढ़ और स्वतंत्र संस्थागत ढाँचे की स्थापना की गई है। यह संरचना न केवल सूचना तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करती है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी सुदृढ़ करती है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना तथा दंडात्मक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

8.1 केंद्रीय सूचना आयोग

Central Information Commission (CIC) राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की सर्वोच्च संस्था है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) तथा अधिकतम दस सूचना आयुक्त (Information Commissioners) होते हैं। इनकी नियुक्ति **President of India** द्वारा एक उच्चस्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं—

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- लोकसभा में विपक्ष के नेता
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

- द्वितीय अपीलों की सुनवाई
- सूचना न मिलने या अनुचित अस्वीकृति से संबंधित शिकायतों की जांच
- सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्देश जारी करना
- सूचना उपलब्ध कराने में विफल अधिकारियों पर दंड लगाना
- अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

आयोग को अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे समन जारी करना, साक्ष्य लेना तथा अभिलेखों का निरीक्षण करना।

8.2 राज्य सूचना आयोग

राज्य स्तर पर सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए State Information Commission की स्थापना की जाती है। इसकी संरचना केंद्रीय सूचना आयोग के समान होती है, जिसमें—

- एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
- अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त

इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के Governor of Indian States द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मंत्रिपरिषद का एक सदस्य शामिल होता है।

राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार और उसके अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करता है तथा अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

8.3 दंड प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभावशीलता का एक महत्वपूर्ण आधार इसके दंडात्मक प्रावधान हैं। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी—

- निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है
- बिना उचित कारण सूचना देने से मना करता है
- जानबूझकर गलत, भ्रामक या अपूर्ण सूचना प्रदान करता है
- सूचना के अभिलेखों को नष्ट करता है या उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न करता है

तो संबंधित आयोग द्वारा उस अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम ₹25,000 तक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकता है।

समग्र रूप से, सूचना आयोगों की स्वतंत्र संरचना और दंडात्मक प्रावधान अधिनियम को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को संस्थागत रूप से सुदृढ़ करते हैं।

9. सूचना का अधिकार और सुशासन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को भारत में सुशासन (Good Governance) की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार के रूप में देखा जाता है। सुशासन की अवधारणा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता, दक्षता और विधि के शासन जैसे सिद्धांतों पर आधारित होती है। सूचना तक नागरिकों की पहुँच इन सभी आयामों को सुदृढ़ करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह अधिनियम शासन की कार्यप्रणाली को अधिक खुला, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाता है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

सूचना का अधिकार सुशासन के निम्नलिखित प्रमुख आयामों को सुदृढ़ करता है:

(क) पारदर्शिता (Transparency)

सूचना का अधिकार प्रशासनिक निर्णयों, नीतिगत प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यय को नागरिकों के लिए सुलभ बनाता है। जब सरकारी फाइलें, निविदाएँ, योजनाएँ और व्यय संबंधी विवरण सार्वजनिक होते हैं, तो प्रशासनिक गोपनीयता कम होती है और निर्णय-प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है। इससे मनमानी और अपारदर्शी प्रशासनिक व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित होता है।

(ख) जवाबदेही (Accountability)

सूचना की उपलब्धता अधिकारियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाती है। नागरिक किसी भी योजना, परियोजना या सेवा वितरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। इससे प्रशासनिक लापरवाही, देरी और शक्ति के दुरुपयोग की संभावनाएँ कम होती हैं।

(ग) नागरिक सशक्तीकरण (Citizen Empowerment)

सूचना का अधिकार नागरिकों को शासन की निगरानी करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में सक्षम बनाता है। यह विशेष रूप से गरीब, वंचित और ग्रामीण समुदायों के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में उभरा है, जिससे वे सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर सकते हैं।

(घ) भ्रष्टाचार नियंत्रण (Control of Corruption)

पारदर्शिता और सार्वजनिक निगरानी के कारण अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों और संसाधनों के दुरुपयोग का खुलासा संभव होता है। सूचना का अधिकार प्रशासनिक विवेकाधिकार को सीमित करता है और निर्णय-प्रक्रिया को दस्तावेजित एवं जांच योग्य बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।

(ङ) सहभागितापूर्ण शासन (Participatory Governance)

सूचना तक पहुँच नागरिकों को नीति-निर्माण और विकास प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक अंकेक्षण, जन-सुनवाई और सामुदायिक निगरानी जैसे तंत्र सूचना के अधिकार के कारण अधिक प्रभावी बने हैं।

(च) सामाजिक पूंजी और विश्वास का निर्माण (Social Capital and Trust)

जब शासन की प्रक्रियाएँ खुली और उत्तरदायी होती हैं, तो सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास का स्तर बढ़ता है। इससे प्रशासनिक वैधता (legitimacy) मजबूत होती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति नागरिकों का भरोसा बढ़ता है।

Wajahat Habibullah (2006) के अनुसार, सूचना का अधिकार भारतीय प्रशासनिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जिसने पारंपरिक "need to know" की गोपनीय मानसिकता को बदलकर "right to know" की लोकतांत्रिक धारणा को स्थापित किया है।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

समग्र रूप से, सूचना का अधिकार केवल एक विधिक प्रावधान नहीं, बल्कि शासन की प्रकृति में संरचनात्मक परिवर्तन का माध्यम है, जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

10. चुनौतियाँ और सीमाएँ

यद्यपि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अनेक संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समुचित समाधान किए बिना अधिनियम की पूर्ण क्षमता का उपयोग संभव नहीं है।

(क) सूचना प्रदान करने में विलंब और लंबित मामलों की समस्या

कई सार्वजनिक प्राधिकरणों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में अपीलों और शिकायतों के लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे न्यायिक देरी और नागरिकों में निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है।

(ख) नौकरशाही का प्रतिरोध और गोपनीयता की प्रशासनिक संस्कृति

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक गोपनीयता-आधारित रही है, जो औपनिवेशिक विरासत का परिणाम है। अनेक मामलों में अधिकारी सूचना साझा करने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं या तकनीकी आधारों पर आवेदन अस्वीकार कर देते हैं। यह प्रवृत्ति अधिनियम की भावना के विपरीत है।

(ग) सूचना आयोगों में रिक्त पद और संसाधनों की कमी

Central Information Commission तथा विभिन्न State Information Commissions में आयुक्तों के पदों की रिक्तता, अपर्याप्त स्टाफ और सीमित वित्तीय संसाधन संस्थागत दक्षता को प्रभावित करते हैं। इससे अपीलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब होता है।

(घ) नागरिकों में जागरूकता और क्षमता का अभाव

ग्रामीण क्षेत्रों, वंचित वर्गों और कम शिक्षित नागरिकों के बीच सूचना के अधिकार के प्रावधानों, प्रक्रियाओं और उपयोगिता के बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बावजूद डिजिटल विभाजन (digital divide) भी एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है।

(ङ) दुरुपयोग और उत्पीड़न की समस्या

कुछ मामलों में सूचना का अधिकार व्यक्तिगत हितों की पूर्ति, प्रशासनिक अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने या उत्पीड़न के उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है, बल्कि अधिनियम की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगते हैं।

(च) अन्य कानूनों के साथ अंतर्विरोध

सूचना का अधिकार अधिनियम का कुछ प्रावधानों के साथ अंतर्विरोध देखने को मिलता है, विशेष रूप से Official Secrets Act, 1923 के संदर्भ में। यद्यपि आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता को प्राथमिकता



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

देता है, फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित मामलों में अस्पष्टता और व्याख्यात्मक चुनौतियाँ बनी रहती हैं।

शर्मा (2013) के अनुसार, इन चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार तथा ई-गवर्नेंस और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

11. निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक भागीदारी को संस्थागत रूप प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। इस अधिनियम ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में खुलापन बढ़ाया है, निर्णय-प्रक्रियाओं को अधिक जवाबदेह बनाया है और नागरिकों को शासन की निगरानी में सक्रिय भागीदार के रूप में सशक्त किया है। सूचना का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण और सुशासन का एक प्रभावी उपकरण है, जिसने "सूचना पर राज्य का नियंत्रण" की पारंपरिक धारणा को बदलकर "सूचना पर नागरिक का अधिकार" स्थापित किया है।

हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई संरचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जैसे लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, संस्थागत संसाधनों की कमी, प्रशासनिक प्रतिरोध और नागरिक जागरूकता का अभाव। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना अधिनियम की पूर्ण प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। अतः प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं—

- सूचना आयोगों को पर्याप्त मानव संसाधन और वित्तीय समर्थन प्रदान करना
- सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और ई-ऑफिस प्रणाली को मजबूत करना
- स्वप्रकाशन (Proactive Disclosure) को प्रभावी रूप से लागू करना
- नागरिकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाना
- लोक सूचना अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना
- प्रशासनिक संस्कृति को गोपनीयता से पारदर्शिता-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर परिवर्तित करना

समग्र रूप से, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, सहभागी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि इसकी संस्थागत और प्रक्रियात्मक कमियों को दूर किया जाए, तो यह सुशासन और जनसशक्तिकरण के लक्ष्य को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होगा।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

12. संदर्भ

1. Article 19. (2006). Global trends on the right to information. London: Article 19.
2. Central Information Commission. (2023). Annual reports. Retrieved from <https://cic.gov.in>
3. Government of India. (2005). The Right to Information Act, 2005. Retrieved from <https://rti.gov.in>
4. Habibullah, W. (2006). Right to Information Act, 2005: A commentary. Eastern Book Company.
5. Jain, M. P. (2018). Indian constitutional law (8th ed.). LexisNexis.
6. Nayak, V. (2015). The right to information in India: An analysis of implementation. Commonwealth Human Rights Initiative.
7. Roy, A. (2004). The RTI movement and people's power. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan Publications.
8. Sharma, P. (2013). Implementation of RTI Act in India: Challenges and issues. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(2), 45–60.
9. Singh, S. (2010). Impact of Right to Information Act on good governance in India. *Indian Journal of Public Administration*, 56(3), 365–382.
10. World Bank. (1992). Governance and development. World Bank.